न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–91/2019
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

सुखदेवकौर पत्नी स्व.गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन जण्डवाला सिखान हाल आबाद भगतपुरा रोड़ केवीके के सामने वार्ड नं. 25 संगरिया एवं वर्तमान CANADA 7260-149 street,surry BC. VIM 2C8 CANADA.जरिए मुखत्यारे खास राजविलेन्द्र सिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

प्रार्थीया

बनाम

1 काजल पत्नी विकास जाति जाट साकिन टिब्बी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांकः– **21.10.2019**

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि वाके तहसील संगरिया के चक नम्बर 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 95/80 में प. न. 145/154 मु.न.1 किला नं.1 से 10, 14 से 17, 24–25/4.048 तथा प.न. 146/154 मु.न. 2 किला नं. 1–10–11/0.759, तथा प.न. 146/155 मु.न. 3 किला नं. 6–17–14–15/0.962, तथा प.न. 147/158 मु.न. 18 किला नं. 17–18–23–24/1.012, तथा प.न. 147/159 मु.न.19 कि.नं. 3–4–7–8–13–14–15/1.771,गै0मु0/0.051 इस प्रकार कुल 8.6030 है0 भूमि दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 हमराह प्रार्थना पत्र के है। अप्रार्थीया संख्या 1 काजल पत्नी विकास जाति जाट साकिन टिब्बी की कृषि भूमि मुझ प्रार्थीया के साथ चिपती हुई इसी चक नं. 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18–23/0.506 है। जिसकी मालिक एवं काबिज अप्रार्थीया संख्या 1 है। अप्रार्थीया संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि चक नम्बर 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 23 के साथ–साथ मंजूर शुद्वा राजकीय रास्ता है तथा प्रार्थीया की भूमि उक्त मंजूर शुद्वा मुख्य रास्ता से मात्र दो बीघा दूरी पर है इससे नजदीक प्रार्थीया को अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की भूमि उक्त मंजूर शुद्वा रास्ता के बीच उक्त अप्रार्थीया की भूमि प.न. 147/159 मु.न. 19 का किला नं. 18 व 23 पड़ते है। प्रार्थीया सुखदेवकौर पत्नी स्व.गुरदेवसिंह अप्रार्थीया संख्या 1 की चक नम्बर 12 ए.एम.पी.खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18 व 23 में से साईज चौड़ा 20′ ग लम्बा 330′ कुल 6600 वर्गफूट यानि 0.061 है0 रास्ता किलों के पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराना चाहते है तथा प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थीया संख्या 1 को मुआवजा राशि देने को तैयार अन्यथा मान्निय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप रास्ते की भूमि की किमत अदा करने को तैयार है। पहरा संख्या 5 में वर्णित किले में से रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के पास नहीं है वे अपनी भूमि में आने–जाने हेतु उक्त अप्रार्थीया की रजामन्दी से ही आना जाना करती रही है तथा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई विकल्प भी नहीं है इससे प्रार्थीया को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पैश कर प्रार्थीया को अप्रार्थीया संख्या 1 की चक नम्बर 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18 व 23 में से साईज चौड़ा 20′ ग लम्बा 330′ कुल 6600 वर्गफूट यानि 0.061 है0 रास्ता किलों के पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से

दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवा राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज करवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर रास्ते बाबत प्रतिफल एवं मुआवजा स्वरूप राशि प्राप्त करना स्वीकार करते हुए चक नम्बर 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18 व 23 में से साईज चौड़ा 20′ x लम्बा 330′ कुल 6600 वर्गफूट यानि 0.061 है0 रास्ता किलों के पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बा स्वीकृत किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपना राजीनामा प्रस्तुत किया। तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 673 दिनांक 17.10.2019 द्वारा चक नम्बर 12 ए.एम.पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18 व 23 में से साईज चौड़ा 20′ x लम्बा 330′ कुल 6600 वर्गफूट यानि 0.061 है0 रास्ता किलों के पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बा स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने राजीनामा में अकित तथ्यो को दोराते हुए प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते का विरोध न कर अपनी सहमति व्यक्ति की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नम्बर 12 ए.एम. पी. खाता संख्या 51/42 में प.न. 147/159 मु.न. 19 किला नं. 18 व 23 में से साईज चौड़ा 20′ x लम्बा 330′ कुल 6600 वर्गफूट यानि 0.061 है0 रास्ता किलों के पश्चिमी दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बा स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जाकर मौका पर रास्ता चालु करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा प्रार्थना पत्र निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:33:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: